सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 16/2008

आई जे एम इण्डिया इन्फ्रास्ट्रेक्चर लि0 हैदराबाद जरिए विरेंद्र कॉल प्रोजेक्ट टीम लीटर आई जे एम हाल मुकाम बेस कैम्प खेडली दौसा राजस्थान ...अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दौसा
2. तहसीलदार तहसील, दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश कुर्की वारंट क्रमांक टी आर ए/वसूली/07/677 दिनांक 30.03.2007 व न्यायालय तहसीलदार, तहसील दौसा

उपस्थित : 1. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 01.11.17**

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 30.03..2007 को कुर्की वारंट क्रमांक टी आर ए/वसूली/07/677 जारी किया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आई जे एम इण्डिया इन्फ्रस्ट्रेक्चर लिमिटेड हैदराबाद को जयपुर महवा खण्ड 2 लेने से 4 लेन करने का अनुबंध किया और भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 के दोनों ओर पेडों को काटने की स्वीकृति प्रदान की गई और उक्त पेडों को काटने के बाद सुरक्षित स्थान नहीं होने के कारण कम्पनी के कार्यालय के समीप ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 149 रकबा 16.30 है0 में से 4 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन की गई जिस पर अपीलांट कम्पनी काबिज होकर उपयोग में लेती रही किंतु रेस्पो0 के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा झूँठी रिपोर्ट 4 बीघा के स्थान पर 4 है0 की करते हुए प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर रेस्पो0 ने कुर्की वारंट जारी कर दिया गया। कुर्की वारंट में न तो अपी0 को सुनवाई का व न ही पक्ष रखने का मौका दिया जो मनमर्जी से उक्त चुनौती पूर्ण आदेश पारित किया गया जो सामान्य सिद्धांत के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की किराये की राशि वसूली के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार दौसा को दिनांक 24.03.2017

पत्र जारी करने पर तहसीलदार दौसा द्वारा संबंधित हल्का पटवारी से इस संबंध में रिपोर्ट चाही गई। जिसके संदर्भ में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि आई जे एम कम्पनी को 4 है0 भूमि आवंटित की गई थी और कम्पनी द्वारा 4.00 है0 भूमि ही उपयोग में ली जा रही हैं । मौके पर सीमेंट के पोल आदि भी गडे हुए है। तदनुसार ही तहसीलदार दौसा ने समय पर राशि जमा नहीं कराने के कारण उक्त कुर्की वारंट जारी किये गये है। जो नियमानुसार है। अपीलांट का जवाब पत्रावली में संलग्न है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया था। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की जाने पर आई जे एम कम्पनी को नोटिस जारी किया गया। जिसके संदर्भ में आई जे एम कम्पनी ने दिनांक 16.03.2007 को नोटिस का जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात पटवारी से विवादित भूमि के संबंध में रिपोर्ट ली जाने पर पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.02.2007 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 149 रकबा 16.30 है0 में से 4.00 है0 भूमि लकडी डालने हेतु वर्ष 2006–2007 एवं 2007–2008 दो वर्षो हेतु लीज रेंट हेतु अस्थायी आवंटन किया है। जिला कलेक्टर दौसा द्वारा जारी स्वकृति में भी खसरा नंबर 149 रकबा 16.30 में से 4.00 है0 भूमि 2 वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी तौर पर किराये पर दी गई थी। जब आवंटन ही 4.00 है0 का किया गया था तो कम्पनी द्वारा 4 बीघा भूमि का उपयोग किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि कम्पनी को 4 बीघा भूमि की ही आवश्यकता थी, तो समय रहते कम्पनी को नियमो के परिपेक्ष में आवेदन कर 4.00 है0 का आवंटन निरस्त करवाकर उसके स्थान पर 4.00 बीघा का आवंटन आदेश प्राप्त करना चाहिए था। पर कम्पनी ने ऐसा नहीं किया। कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा तहसीलदार दौसा को प्रस्तुत जवाब दिनांक 16.03.2007 पत्रावली में संलग्न है। इसलिए उनका यह कहना नितांत गलत है कि उनको सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट बलहीन होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 01 नवम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official